-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 27.10.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना बिसण्डा पुलिस द्वारा बकरियां चोरी करने वाले एक अभियुक्त को किया गया गरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की 08 बकरियां व चोरी में प्रयुक्त 01 चारपहिया वाहन बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बाँदा द्वारा श्री अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनाँक 27.10.2024 को थाना बिसण्डा पुलिस द्वारा बकरियां चोरी करने वाले 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब हो कि थाना बिसण्डा क्षेत्र के परसेटा अंश सिंहपुरमाफी के रहने वाले बबुआ पुत्र जामिद खां द्वारा दिनांक 26/27.10.2024 की रात्रि को थाना बिसण्डा पर अपनी बकरियां चोरी होने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया था जिसके सम्बन्ध में थाना बिसण्डा पर अभियोग पंजीकृत करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की कुल 08 बकरियां व परिवहन में प्रयुक्त एक चारपहिया वाहन बरामद किया गया है। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया गया कि वह अपने 02 अन्य साथियों के साथ मिलकर 03 बकरियां ग्राम परसेटा व 05 बकरिया ममसी से चोरी की थी। फरार अन्य 02 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

बरामदगी-

- 08 नग चोरी की बकरियां
- 01 चारपहिया वाहन सैन्ट्रो UP71R3851

गिरफ्तार अभियुक्त

1. रामकिशोर वर्मा पुत्र केशपति निवासी बैरफ थाना मरका जनपद बांदा।

फरार/वांछित अभियुक्त-

1. टिर्रा पुत्र अज्ञात निवासी सिमौर थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर
2. सोनू गुप्ता पुत्र अज्ञात निवासी शाषा, फतेहपुर।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 390/2024 धारा 303(2)/317(2)/317(4) बीएनएस थाना बिसण्डा जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. चौकी प्रभारी सिंहपुर श्री वीरेन्द्र कुमार त्रिपाठी व टीम

आपराधिक इतिहास अभियुक्त रामकिशोर उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 101/2019 धारा 379/411 भादवि थाना बिसण्डा जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0 3/21 धारा 3/25 ए एक्ट थाना मरका जनपद बांदा।
3. मु0अ0सं0 12/2023 धारा 379/411/413 भादवि थाना मरका जनपद बांदा
4. मु0अ0सं0 471/2022 धारा 380/411/413 भादवि थाना मरका जनपद बांदा।